नाम- डा. प्रदीप कुमार राय
विषय- राजनीति शास्त्र
कक्षा- बी. ए. (प्रतिष्ठा) भाग-02
पेपर- 04 दिनांक- 17.7.20

टॉपिक- सुरक्षा परिषद्- संगठन एवं कार्यप्रणाली

संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के समय के दौर में एक ऐसे अंग की आवश्यकता भी आवश्यक समझी गई जो विश्व शांति और व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस और प्रहरी का कार्य कर सके इसके लिये इन महाशक्तियों को विशेष प्रतिनिधित्व देने पर विचार हुआ। जिनकी मित्रता एवं मतैक्य पर ही विश्व शांति और सुरक्षा कायम रह सकती है।

सं. रा. संघ के चार्टर के अनुच्छेद 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद् सदस्यों के संगठन संबंधी नियम दिये गये हैं इसके अनुसार परिषद् के मूलतः 5 स्थायी एवं 6 अस्थायी सदस्य की व्यवस्था की गई। किंतु सितंबर 1965 में चार्टर के संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या दस कर दी गयी। इन दस अस्थायी सदस्यों में से 5 एशिया अफ्रीका राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिणी अमरीका तथा शेष 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों में से होने चाहिये। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट-ब्रिटेन तथा सं. रा. अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने दो-तिहाई बहुमत से दो वर्ष के लिये करती है। इनके निर्वाचन में महासभा संगठन के उद्देश्यों, अंतर्रा. शांति एवं सुरक्षा के संबंध में सं. राष्ट्र के सदस्यों के योगदान का तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता का ध्यान रखती है। विगत में कई बार भारत तथा अन्य देशों द्वारा सुरक्षा परिषद् के अस्थायी एवं स्थायी सदस्य संख्या में वृद्धि संबंधी मांग रखी गई है किंतु इस संबंध में स्थायी सदस्यों के असहयोग के कारण यह सफल नहीं हो पाया है।

कार्यप्रणाली- सु. परिषद् संयुक्त राष्ट्र का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाये तो इसकी बैठक अल्प सूचना पर यथा 24 घंटे की सूचना पर बुलाई जा सकती है। सु. परिषद् में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक-एक प्रतिनिधि रहते हैं। अतः इस परिषद् की बैठक में अनिवार्य रूप से पन्द्रह सदस्य उपस्थित होते

Scanned with CamScanner

जिससे गंभीर विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं निर्णय लेने में सुविधा होती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिये 9 मतों की आवश्यकता होती है। इसका आशय ऐसे विषयों से है जिनमें सु.परिषद् की बैठक के समय या स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम और सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिये निमंत्रित करना आदि। परन्तु अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिये 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि पाँचों स्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हों। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार प्राप्त है किन्तु झगड़े से संबंधित दल मतदान नहीं करता। यदि कभी सुरक्षा परिषद् में ऐसे विषय पर विचार होता है, जिससे सं.राष्ट्र के किसी ऐसे सदस्य राज्य के विशेष हितों पर प्रभाव पड़ता हो, जो सु.परिषद् का सदस्य न हो तब वह राज्य सु.परिषद् की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता।

Scanned with CamScanner